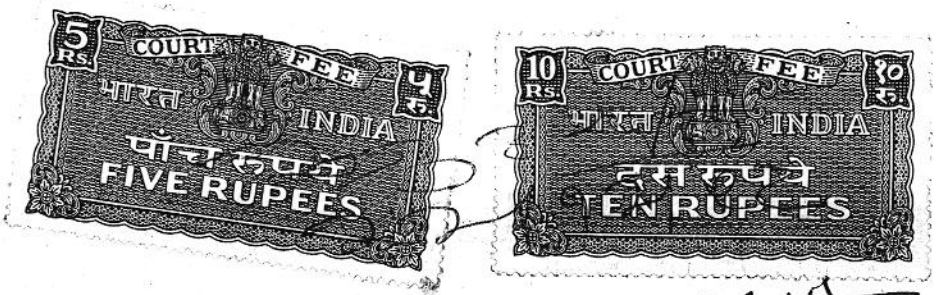

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

R 2276-3/98

प्रकरण क्रमांक   /९८/ निगरानी

१। मुरारीलाल पुत्र रामसहाय २। विधाराम पुत्र वनखंडी ३। विशम्भरसिंह पुत्र भोगीराम ४। प्रभूदयाल पुत्र रामसहाय ५। महाराज सिंह ६। जगमोहन दोनों पुत्रगण प्रभू ७। छविराम पुत्र वनखंडी ८। दाताराम पुत्र लक्ष्मण ९। शादीलाल पुत्र परसू १०। रामसिंह पुत्र शादीलाल ११। रामअवतार पुत्र छविराम

सभी निवासीगण ग्राम बहारपुरा, तहसील मेंहगांव, जिला भिण्ड, म०प्र० -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। विजयसिंह २। जयसिंह पुत्रगण हरी निवासीगण ग्राम बहारपुरा, तहसील मेंहगांव, जिला भिण्ड, म०प्र० ----

प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग दिनांक १८-९-९८ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक १४३/९३-९४ निग

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2276/तीन/1998 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-9-1998 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 143/1993-94 निगरानी

1- मुरारीलाल 2- विद्याराम 3- विसम्भरसिंह
पुत्रगण भोगीराम
4- प्रभूदयाल पुत्र रामसहाय
5- महाराजसिंह 6- जगमोहन पुत्रगण प्रभू
7- छबिराम पुत्र बनखंडी
8- दाताराम पुत्र लक्ष्मण 9- शादीलाल पुत्र पासू
10-रामसिंह पुत्र शादीलाल 11- रामअवतार
पुत्र छबिराम सभी निवासी ग्राम जहारपुरा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड मध्य प्रदेश --- आवेदकगण

विरूद्ध

1- विजयसिंह 2- जय सिंह पुत्रगण हरीसिंह
ग्राम जहारपुरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(आवेदक-1 के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(शेष अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14-12-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 143/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-9-98 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बहारपुरा तहसील मेहगॉव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 14 रकबा 6 वीघा 13 विसवा (आगे जिसे वादोक्त भूमि लिखा गया है) के आवेदकगण एंव अनावेदकगण भूमिस्वामी हैं। अनावेदक ने नायव तहसीलदार मेहगांव के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर इस भूमि के बटांक

किये जाने की मांग रखी। नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 125/87-88 बी-121 दर्ज करके जांच उपरांत आदेश दिनांक 29-12-90 पारित किया तथा वादोक्त भूमि के बटांक स्वीकार किये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील क्रमांक 39/1990-91 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 13-11-1991 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 29-12-90 निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 32/1991-92 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-6-1994 से अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव का आदेश दिनांक 13-11-91 निरस्त किया गया एंव नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 29-12-90 स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 143/93-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-9-98 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषकों के तर्क सुने । शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम बहारपुरा तहसील मेहगॉव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 14 रकबा 6 वीघा 13 विसवा के आवेदकगण एंव अनावेदकगण सहभागीदार एंव सहभूमिस्वामी हैं । सहभागीदार अनावेदकगण ने अपने हिस्से की भूमि के बटांक कायम किये जाने का आवेदन नायव तहसीलदार को दिया, जिस पर नायव तहसीलदार ने राजस्व निरी.

से मौके के कब्जे के मान से एंव भूमि कौन कहां जोत रहा है, जांच कराई। राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर आवेदकगण ने आपत्ति दर्ज की, जिस पर नायव तहसीलदार ने उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार व्दारा की गई विधिवत् कार्यवाही को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित करने की त्रृटि की, जिसके कारण अपर कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण कमांक 32/1991-92 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-6-1994 से अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव के आदेश दिनांक 13-11-91 को निरस्त किया है एंव नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 29-12-90 को विधिवत् पाते हुये स्थिर रखा है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 143/93-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-9-98 में अपर कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 28-6-1994 को सही माना है, जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 143/93-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-9-98 उचित पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर